

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमस्त पर कृतिकार कुलाधिक जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से दी जाएगी और व
कि किसी अन्य व्याख्याता के नाम नहीं।
उमस्त का विषय यह होंगे कि उम
कृतिकार कृति से ना पर कृतिकार तो विश्व
विद्यालय के नाम जिसके उभयन होंगे।



फ़ाक्ट : बुद्धिमत्ता
प्रूफ़ : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट : (0751) 2241758

प्रेषक :
कुलाधिक,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
मानकर्ष/एफ/लक्ष्मण/2012/ 5416

दिनांक 21.11.12

// संशोधित सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध विद्यार्थी महाविद्यालय, शिष्ट को छव 2011-12 के लिये
प्रस्तावित संचालित श्री.एल. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अवासी सम्बद्धता हेतु अबुशंसाएं प्रदान करने के लिये
गांगनीय कुलपति गहोदुवा/स्वाच्छा लाभिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के
परिवियम 27(10) के अन्वर्गत लिम्नानुसार लिटीक्षण लाभिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. राजीव चैन, आचार्य, रसायन अस्थायनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
(0751-2442828)

(संयोजक)

(2) प्रो. विशेष जापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
(3) डॉ. नी.एल. नादव, आचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

लिटीक्षण लाभिति के दावदारों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्राप्तान्तरों के अनुरूप महाविद्यालय का प्राप्तक
लिटीक्षण कर शुरू, घोषित राशि, नियमित श्रीक्षणिक/अश्रीक्षणिक स्टॉक, प्राधिकृत उत्पत्ति से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र,
आग, दूषित परिवर्त एवं साफ्टवर्क/आर्टिकेल्स तथा पिछले सत्र में दी गई सर्तों की पूर्ति मध्य प्रमाण पत्र के तत्व
प्राप्तार्थ/श्रीक्षणिक एवं अश्रीक्षणिक स्टॉक की लिपुत्रितों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे जैसे स्पष्ट विवरण अनुशंसाएं अकित
करें।

त्वाची लाभिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद प्रमाण 60 (अ-अ-2) पर लिये जाए लिटीक्षणनुसार
लिटीक्षण लाभिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का लिटीक्षण कर 15 दिवस ने लिटीक्षण कारबालय में लिटीक्षण प्रतिवेदन
प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय लिटीक्षण की) 45 दिवस ने पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय
को लिटीक्षण द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होना एवं यथा समय सम्बद्धता उन्हें कार्यवाही पूर्ण
हो सकेंगी तथा शासक के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेंगा।

वहाँ के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह नाला जाएगा कि महाविद्यालय का लिटीक्षण नहीं हुआ
है। लिम्नानुसार अर्थात् जमा कर्याकर नवीन लाभिति की जावेगी। जिसे 15 दिवस में लिटीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना
अनिवार्य होगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिन छात्रों के प्रवेश देना अवैधिक है।

लिटीक्षण लाभिति के सब सम्बद्धता शास्त्र में कार्यवाही अधीक्षक / कार्यालय सहायक पञ्चाली तेकर जावेंगे तथा
महाविद्यालय की वस्तुत्रिति से लिटीक्षण अभिति को अन्वर्गत करावेंगे। लिटीक्षण लाभिति के सदस्यों को दीप्ति / श्री ए. मानदेव
महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

कुलाधिक

प्रतिलिपि :-

1. समर्पत सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आयश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राप्तार्थ/अध्ययन, तंत्रोधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि सक्षिति ने संदोषका से संपर्क स्थापित कर
लिटीक्षण दिनांक लिपार्टित कर महाविद्यालय का लिटीक्षण करावे। उक्त लिटीक्षण 15 दिवस के अन्वर्गत करावे की
व्यवस्था की।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुष्टा भवन, गोपाल
4. कुलपति के अधिकार / कुलाधिक के निची राष्ट्रीयक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलाधिक (सम्बद्धता)